

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS  
( Department of Personnel-A-II )  
.....

No. F. 5 (25) DOP/A-II/85

Dated: 23/12/85

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Vidhi Rachana Service Rules, 1981, namely:-

A M E N D M E N T

In rule 23 of the said rules, for the figure "50" the figure "25" shall be substituted.

By Order and in the name of the  
Governor,

*M. P. Joshi*  
( M. P. Joshi )

Special Secretary to the Govt.

Ganesh/

83(111)/85

राजस्थान सरकार  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सहाय विभाग,  
कार्मिक-क्याम्प-गाँव

सं. एफ 5/25/डी.ओ.पी./ए-ग/85

दिनांक 23 दिसम्बर, 1985

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान विधि रचना सेवा नियम, 1981 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 23 में अंक "150" के स्थान पर अंक "25" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश और उनके नाम से,

ओ.पी. जोशी  
विशेष शासन सचिव